# श्री जय सिंह, जिलाधिकारी, खगड़िया के द्वारा दिनांक 24.10.2017 को गोगरी एवं परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत छठ घाटों के कृत निरीक्षण टिप्पणी।

दिनांक 24.10.2017 को अपराह्न में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के साथ गोगरी एवं परबत्ता प्रखंड के निम्नांकित छठ घाटों का निरीक्षण किया गया एवं स्थिति निम्नवत् पाई गई। निरीक्षण के क्रम अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोगरी, अंचल अधिकारी, गोगरी एवं संबंधित थानाध्यक्ष भी मौजूद थे।

1. कामास्थान (गोगरी) :–

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी ने बताया कि पुल के नीचे काफी पानी है एवं घाट खतरनाक है इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर बगल में घाट बनबाया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी को निदेश दिया गया कि प्रतिबंधित घाट को वैरिकेडिंग करा दें ताकि लोग पुल के नीचे पानी में नहीं जायें। यह भी निदेश दिया गया कि बगल में जो घाट बनाये गये हैं एवं उस घाट में पानी ज्यादा है तो उसे भी मजबूत बांस से Vertical एवं Horizental वैरिकेडिंग करायें तथा पुल के पानी में एवं घाट में नाव एवं गोताखोर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। साथ ही पर्याप्त रोशनी, साफ–सफाई, नियंत्रण कक्ष Public Address System कपड़ा बदलते के लिए Changing Room का निर्माण करायें। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी एवं अंचलाधिकारी, गोगरी नाव एवं गोताखोर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी व्यवस्था दिनांक 25.10.2017 के दोपहर तक सम्पन्न हो जाय। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को इस स्थल पर मेडिकल टीम उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी / प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोगरी / अंचल अधिकारी, गोगरी)

2. मीरगंज घाट :–

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी को निदेश दिया गया कि वैरिकेडिंग, साफ–सफाई, पर्याप्त रोशनी, कपड़ा Changning Room, नियंत्रण कक्ष निर्माण कार्य दिनांक 25.10.2017 को दोपहर तक निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करें। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि दो नाव एवं गोताखोर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं First Aid की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी / अंचलाधिकारी, गोगरी)

. मुश्कीपुर कोठी घाट :–

निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी को निदेश दिया गया कि घाट की बैरिकेडिंग, नियंत्रण कक्ष, साफ–सफाई, कपड़ा बदलने हेतु Changing Room इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। सभी कार्य दिनांक 25.10.2017 को दोपहर तक निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी / अंचलाधिकारी, गोगरी)

निरीक्षण के क्रम में घाट जाने के रास्ते में बिजली युक्त झालर लगाया हुआ पाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया कि विद्युत की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी)

4. कुढ़ा धार मड़ैया (परबत्ता) :–

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि इस घाट पर ज्यादा पानी है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया कि बैरिकेडिंग पर्याप्त रोशनी साफ–सफाई के साथ–साथ नाव एवं गोताखोर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी / प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता)

5. कज्जलवन घाट (परबत्ता) :–

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी ने बताया कि यह खतरनाक घाट है इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे सुनिश्चित करायें कि इस घाट पर लोग नहीं जायें एवं बगल के घाट पर छठ पर्व मनायें।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी / प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता / थानाध्यक्ष, परबत्ता)

6. गोरियामी घाट :–

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बताया गया कि यह घाट भी संवेदनशील है, परंतु सारी व्यवस्था की जायेगी ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। उन्हें निदेश दिया गया कि सतत् निगरानी रखेंगे।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी / प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता / थानाध्यक्ष, परबत्ता)

7. अगुवानी घाट :–

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि इस घाट पर अभी तक कोई व्यवस्था प्रारंभ नहीं की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि निर्माणाधीन पुल के पूरब एवं पश्चिम में छठ पर्व मनाया जाता है एवं यहाँ काफी भीड़ होती है।

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया कि पानी की गहराई को देखते हुए वैरिकेडिंग मजबूत बांस से Veritical एवं Horizental कराना सुनिश्चित करें। साथ ही नियंत्रण कक्ष, पर्याप्त रोशनी, कपड़ा Changning Room की व्यवस्था करायें। इसके अलावे यहाँ मोटरवोट, SDRF की टीम, सरकारी नावें एवं गोताखोर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही वोट एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता/थानाध्यक्ष, परबत्ता)

अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया कि अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत सभी घाटों का पुनः 25.10.2017 को निरीक्षण करेंगे एवं सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन– अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी)

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 2405 /गो0, दिनांक 25/10/2017

प्रतिलिपि : जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोगरी एवं परबत्ता/अंचल अधिकारी, गोगरी एवं परबत्ता/थानाध्यक्ष, गोगरी, परबत्ता एवं मड़ैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया। 25/10/2017